उन्नयन
बिहार

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

मीनू कुमारी हरिजन, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
छपरा, सारण–841301

बिहार सरकार

E-mail: unnayansaran@gmail.com

पत्रांक 1134 छपरा दिनांक 18.08.2026

सेवा में,

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
सारण।

विषयः– प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः– परिवाद के अनन्य संख्या 417118005082600835

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रके आलोक में अंकित करना है कि अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1128 दिनांक 14.08.2026 द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक, मैकडोनाल्ड उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवरिया को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था जो अपने पत्रांक 75 दिनांक 17.08.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी समस्त शिक्षक गण रंजन कुमार सिंह एवं सुरेन्द्र प्रसाद यादव के परिवाद पत्र का जांच किया गया जिसमें रंजन कुमार सिंह प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान करने हेतु दिनांक 30.04.2026 को पूर्वी चम्पारण चले गये एवं सुरेन्द्र प्रसाद यादव एवं अन्य शिक्षक का शिक्षक उपस्थिति पंजी में नाम का संधारण नियमानुसार किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि वाद को निष्पादित किया जा सकता है।

अनु0ः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

18.08.26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / साक्षरता सारण।
18.08.2026

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक/साक्षरता, सारण।

उन्नयन बिहार
मीनू कुमारी, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
छपरा, सारण–841301

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

बिहार सरकार

E-mail: unnayansaran@gmail.com

पत्रांक ....1135.... सारण, दिनांक ....18.... अगस्त, 2026

सेवा में,

श्रीमती प्रियंका कुमारी,

विशिष्ट शिक्षिका,

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपरा, सारण।

विषयः– सुनवाई के संबंध में।

प्रसंगः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सारण के पत्रांक 3754 दिनांक 02.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अंकित किया गया है कि कार्यालय पत्रांक 443 दिनांक 04.04.2026 के द्वारा आपका विभागीय कार्यवाही समाप्त करने हेतु जांच प्रतिवेदन कार्याल जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को भेजा गया था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सारण के पत्रांक 3754 दिनांक 02.06.2026 के द्वारा अंकित किया गया है कि श्रीमती प्रियंका कुमारी सरकारी सेवक है तथा किसी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना सरकारी सेवक के लिए अनिवार्य है एवं स्पष्ट मंतव्य का मांग किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में निदेश है कि दिनांक 22.08.2026 को 03:00 अपराह्न में निर्धारित तिथि को सुनवाई में उपरोक्त के आलोक में अपना प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध करावे ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

ह0उन्नयन - प्रभारी

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 18.08.2026

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / साक्षरता सारण।

18.08.2026

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक/साक्षरता, सारण।

उन्नयन बिहार

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

मीनू कुमारी, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
छपरा, सारण–841301

बिहार सरकार

E-mail: unnayansaran@gmail.com


पत्रांक ...1136... सारण, दिनांक ...18... अगस्त 2026

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,
श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह,
मध्य विद्यालय, रतनपुरा,
प्रखंड छपरा, सदर नगर।
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपरा, सारण।

विषयः– सुनवाई के संबंध में।

प्रसंगः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सारण के पत्रांक 4006 दिनांक 08.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अंकित किया गया है कि श्री कार्यालय पत्रांक 51 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा आपको विभागीय कार्यवाही समाप्त करने हेतु जांच प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को भेजा गया था। पत्रांक 400 दिनांक 08.06.2026 द्वारा अंकित किया गया है कि जांच पदाधिकारी द्वारा गठित आरोपो का पुनः समीक्षा कर आरोप प्रमाणित है कि नहीं, स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में निदेश है कि दिनांक 22.08.2026 को अपराह्न 03:00 बजें सुनवाई में उपरोक्त के आलोक में अपने प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराये ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

<u>इसे अति आवश्यक समझा जाए।</u>

अनुलग्नक - यथोपरि

विश्वासभाजन
18.08.26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / साक्षरता सारण।
18.08.2026


कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक / साक्षरता, सारण।

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

उन्नयन बिहार

मीनू कुमारी हरिजन, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
छपरा, सारण–841301

बिहार सरकार

E-mail: unnayansaran@gmail.com

पत्रांक 1137 छपरा दिनांक 18.08.2026

सेवा में,

श्रीमती अजु सिंह,
पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका, (विशिष्ट शिक्षिका)
रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेमरिया, रिविलगंज
सम्प्रति प्रधानाध्यापिका,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
लेजुआर, मांझी।

विषयः– बचाव अभिकथन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 226 दिनांक 24.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप में अपना बचाव पक्ष रखने हेतु पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। ससमय पक्ष नहीं रखने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपके उपर लगाये गये आरोप सत्य है एवं विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग की बाध्यता होगी।

अनु0:– यथोपरि।

विश्वासभाजन

18.08.26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / साक्षरता सारण।

18.8.2026

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक / साक्षरता, सारण।

उन्नयन
बिहार

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

मीनू कुमारी हरिजन, (बि०शि०से०)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
छपरा, सारण–841301

बिहार सरकार

E-mail: unnayansaran@gmail.com

पत्रांक 1138 छपरा दिनांक 18.08.2026

सेवा में,

श्रीमती मामता कुमारी,
पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका, (विशिष्ट शिक्षिका)
आदर्श जनता उच्चत माध्यमिक विद्यालय,
नैनी, छपरा सदर,
सम्प्रति प्रधानाध्यापिका,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बसंतपुर, अमनौर

विषयः– बचाव अभिकथन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 228 दिनांक 24.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप में अपना बचाव पक्ष रखने हेतु पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। ससमय पक्ष नहीं रखने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपके उपर लगाये गये आरोप सत्य है एवं विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग की बाध्यता होगी।

अनु०:– यथोपरि।

विश्वासभाजन
18.08.26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / साक्षरता सारण।
18.08.2026

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक / साक्षरता, सारण।